

# मध्यप्रदेश विधान सभा

की

## कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

---

पंचदश विधान सभा

दशम् सत्र

दिसम्बर, 2021 सत्र

गुरुवार, दिनांक 23 दिसम्बर, 2021

( 2 पौष, शक संवत् 1943 )

[खण्ड- 10 ]

[अंक- 4 ]

---

# मध्यप्रदेश विधान सभा

गुरुवार, दिनांक 23 दिसम्बर, 2021

(2 पौष, शक संवत् 1943)

विधान सभा पूर्वाह्न 11.02 बजे समवेत हुई.

{ अध्यक्ष महोदय (श्री गिरीश गौतम) पीठासीन हुए. }

## प्रश्नकाल में उल्लेख एवं अध्यक्षीय व्यवस्था

### पंचायत चुनाव में पिछड़ा वर्ग के आरक्षण संबंधी

श्री सज्जन सिंह वर्मा:- माननीय अध्यक्ष महोदय, इस सदन में (xxx) व्यवहार हो रहा है.

अध्यक्ष महोदय:- इस शब्द को विलोपित किया जाये. आप लोग बैठ जायें, कम से कम प्रश्नकाल चलने दीजिये.(व्यवधान)

श्री हर्ष यादव:- अध्यक्ष महोदय..

श्री कांतिलाल भूरिया:-अध्यक्ष महोदय..

श्री सज्जन सिंह वर्मा:- माननीय अध्यक्ष महोदय, आपको सुनना पड़ेगा. पिछड़े वर्ग के लोगों के साथ शिवराज सिंह चौहान और यह सरकार अन्याय कर रही है. यहां सदन में शिवराज सिंह कुछ बोलते हैं, निर्वाचन आयोग से दूसरा नोटिस जारी करवाते हैं या तो सदन स्पष्ट करे.(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय:- आप लोग बैठ जाइये.

संसदीय कार्य मंत्री (डॉ. नरोत्तम मिश्र):- माननीय अध्यक्ष जी, एक प्राणी है क्रोकोडायल, यह घड़ियाली आंसू हैं.

श्री सज्जन सिंह वर्मा:- संसदीय कार्य मंत्री जी स्पष्ट घोषणा करिये.

डॉ. नरोत्तम मिश्र:- माननीय अध्यक्ष महोदय, हमने जो बोला हम उस पर उस दिन भी कायम थे, आज भी कायम हैं. यह कुछ कर तो सकते नहीं हैं.( व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय:- आ तो गया है कि इन्होंने जो बोला उस पर कायम हैं, मना कहां किया है.( व्यवधान)

डॉ. नरोत्तम मिश्र:- जितना बुरा पिछड़े वर्ग का इन्होंने किया, उतना किया. जितना बुरा कर सकते थे उतना कर दिया. (व्यवधान) अब यह घड़ियाली आंसू बहाने के लिये यहां पर आ गये. (व्यवधान) माननीय अध्यक्ष महोदय, हमने सुप्रीम कोर्ट में कल पिटिशन दाखिल कर दी है. आज हम अर्जेंट रिव्यू के लिये उसको लगाने वाले हैं, सुप्रीम कोर्ट में न्यायालय का आदेश लेने के लिये हम आज उसको अर्जेंट रिव्यू में लगा रहे हैं. कल हमारी पेश हो चुकी है. यह घड़ियाली आंसू बहाकर क्या बताना चाहते हैं. (व्यवधान) यह क्या है माननीय अध्यक्ष महोदय.

अध्यक्ष महोदय:- सदन के अंदर स्पष्टीकरण हो रहा है ना. (व्यवधान)

श्री सज्जन सिंह वर्मा:- (XXX) (व्यवधान) निर्वाचन आयोग से लेटर जारी करवा रहे हो.

डॉ. नरोत्तम मिश्र:- उस उसमें क्या बचा है.

अध्यक्ष महोदय:- आप बैठ जाइये. नेता प्रतिपक्ष जी खड़े हैं.

नेता प्रतिपक्ष (श्री कमल नाथ):- माननीय अध्यक्ष जी, जो बात हुई, जो मुख्य मंत्री जी ने कहा, यह प्रोसीडिंग्स का हिस्सा है. यह हमारी सोच नहीं है, यह हम नहीं कर रहे हैं कि ऐसा करो, वैसा मत करो. हम तो बड़ी साधारण बात कह रहे हैं, जो मुख्यमंत्री ने इस सदन में कहा आपकी अध्यक्षता में कि आरक्षण के बगैर कोई चुनाव नहीं होंगे, यह प्रोसीडिंग्स का हिस्सा है. (मेजों की थपथपाहट) हम तो कह रहे हैं कि जो मुख्यमंत्री ने इस सदन को और पूरे प्रदेश को संदेश दिया, जो घोषणा की उसका पालन किया जाये.

श्री भूपेन्द्र सिंह:- अध्यक्ष महोदय,...

श्री कमल नाथ:- मैं अपनी बात खत्म कर लूं.

अध्यक्ष महोदय:- उनकी बात खत्म हो जाने दें.

श्री कमल नाथ:- अब यह कहें कि हम कोर्ट में जा रहे हैं, यह कोर्ट जायें, मंदिर जायें, अस्पताल जायें हमें उससे कुछ लेना-देना नहीं है. हमें तो स्पष्ट बात है कि जो मुख्यमंत्री जी ने बयान दिया उसकी पूर्ति हो.

डॉ. नरोत्तम मिश्र-- अध्यक्ष महोदय, हम उस पर अक्षरशः कायम हैं. कोर्ट तो ये लोग गये और पिछड़े वर्ग का अहित इन्होंने कर दिया. सदन में यह लोग (XXX) बहा रहे हैं. पूरे प्रदेश की 50 प्रतिशत आबादी का सत्यानाश कर दिया, पूरे के पूरे चुनाव का सत्यानाश कर दिया. अब यहां पर (XXX) बहाकर क्या करना चाहते हैं ? (व्यवधान) अध्यक्ष महोदय, कांग्रेस के लोग रोज प्रश्नकाल को बाधित कर रहे हैं, इतना (XXX) नहीं देखा. प्रश्नकाल को हर दिन बाधित किया जाता

है. माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो कहा गलत इंटरपिटेशन कर रहे हैं. बिना उसके चुनाव न हो हम उस दिशा में बढ़ेंगे. हम आज भी कायम हैं और हम उस दिशा में आगे बढ़ गये हैं. (व्यवधान)

श्री सज्जन सिंह वर्मा--अध्यक्ष महोदय, पिछड़े वर्ग के साथ सरकार (XXX) अपना रही है. (व्यवधान)

11.06 बजे

गर्भगृह में प्रवेश

इंडियन नेशनल कांग्रेस के सदस्यगण द्वारा गर्भगृह में प्रवेश

(इंडियन नेशनल कांग्रेस के सदस्यगण द्वारा गर्भगृह में प्रवेश किया गया एवं नारे लगाये गये.)  
(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय--माननीय नेता प्रतिपक्ष जी ने जो सवाल खड़ा किया है. मैं माननीय भूपेन्द्र सिंह जी को बोलने के लिये अनुमति देता हूं. (व्यवधान)

नगरीय विकास एवं आवास मंत्री (श्री भूपेन्द्र सिंह)--अध्यक्ष महोदय, गुजरात के अंदर, छत्तीसगढ़ के अंदर ओ.बी.सी आरक्षण के आधार पर चुनाव हो रहे हैं. यहां पर कांग्रेस ने और श्री विवेक तन्खा ने न्यायालय में जाकर चुनाव रूकवाने का काम किया है, इस पर कांग्रेस को माफी मांगनी चाहिये. गुजरात में चुनाव हो रहे हैं, छत्तीसगढ़ में चुनाव हो रहे हैं. मध्यप्रदेश में कांग्रेस ने पूरे प्रदेश में सर्वोच्च न्यायालय में जाकर श्री विवेक तन्खा ने मध्यप्रदेश में चुनाव को रूकवाने का काम किया है. (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय--आप जो चाहते हैं आप माननीय भूपेन्द्र सिंह जी का जवाब तो सुन लीजिये. (व्यवधान)

चिकित्सा शिक्षा मंत्री(श्री विश्वास सारंग)--अध्यक्ष महोदय, सीधे सीधे विवेक तन्खा ने सर्वोच्च न्यायालय में याचिका लगवाई. माननीय कमलनाथ जी ने तथा डॉ.गोविन्द सिंह जी ने याचिका लगवाई. (व्यवधान)

उच्च शिक्षा मंत्री (डॉ. मोहन यादव)--कांग्रेस के लोगों ने जो पिछड़े वर्ग के लोगों के साथ अन्याय किया है सारा (XXX) इनके माथे पर है. कांग्रेस के लोगों ने इस प्रकार का माहौल बनाया है. कांग्रेस के लोग इस (XXX) के भागीदार हैं, आप (XXX). यह सारा (XXX) आपके सिर पर है. कांग्रेस ही इस पूरे (XXX) की भागीदार है. कांग्रेस ने ओ.बी.सी.के साथ बुरा किया है. (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य--सब जगहों पर ओ.बी.सी.के आधार पर चुनाव हो रहे हैं तो इस मध्यप्रदेश में क्यों नहीं हो रहे हैं. इसका अध्यक्ष महोदय, जवाब दिलवाइये. (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय--आप इन लोगों का जवाब सुन तो लीजिये. यह लोग क्या जवाब दे रहे हैं उनको कम से कम सुन तो लीजिये. (व्यवधान)

श्री सज्जन सिंह वर्मा--सत्तापक्ष का पूरा मंत्रि-मंडल असत्य बोल रहा है. पूरे प्रदेश की जनता को यह लोग गुमराह कर रहे हैं. शिवराज की (XXX) (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय--आप लोगों के ही महत्वपूर्ण प्रश्न लगे हुए हैं. आप लोग प्रश्नकाल को चलने दें. पहला प्रश्न एन.पी.प्रजापति जी का लगा हुआ है. पहला प्रश्न आपका है, चौथा प्रश्न आपका है और छठवां प्रश्न भी आपका है. आपके प्रश्न लगे हुए हैं. (व्यवधान)

श्री सज्जन सिंह वर्मा--अध्यक्ष महोदय, पिछड़े वर्ग की आड़ में भाजपा के लोग राजनीति कर रहे हैं. (व्यवधान)

श्री भूपेन्द्र सिंह--अध्यक्ष महोदय, विवेक तन्खा एवं कांग्रेस के लोगों ने मिलकर चुनाव को रूकवाने का काम किया है इस पर कांग्रेस को माफी मांगना चाहिये. (व्यवधान)

श्री सज्जन सिंह वर्मा--माफी मांगनी चाहिये शिवराज सिंह चौहान को जो कि इन लोगों के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं.(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय--सबसे ज्यादा प्रश्न आपके लगे हुए हैं. सबसे ज्यादा प्रश्न आप लोगों के ही लगे हुए हैं कम से कम आप लोग प्रश्नकाल को तो चलने दीजिये. (व्यवधान)

श्री सज्जन सिंह वर्मा--अध्यक्ष महोदय, इसमें सबसे बड़ा दोषी शिवराज सिंह चौहान है. (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय--विधान सभा की कार्यवाही 15 मिनट के लिये स्थगित

(11.10 बजे विधान सभा की कार्यवाही 15 मिनट के लिये स्थगित की गई)

11:26 बजे {अध्यक्ष महोदय (श्री गिरीश गौतम) पीठासीन हुए}

(इंडियन नेशनल कांग्रेस के सदस्यगण द्वारा नारे लगाते हुए गर्भगृह में प्रवेश किया गया)  
(...व्यवधान)

संसदीय कार्यमंत्री(डॉ. नरोत्तम मिश्र) - (...व्यवधान) अध्यक्ष महोदय, बड़ा पीड़ादायक प्रश्न है, आपने स्थगन पर चर्चा कराई. इनके नेता प्रतिपक्ष को यहां रहने का समय नहीं है, (...व्यवधान) उनको जाना होता है, नेता प्रतिपक्ष पूरे हाउस को प्रभावित करते हैं. (...व्यवधान) यह बहुत पीड़ादायक है, (XXX) (...व्यवधान)

11:26 बजे तारांकित प्रश्नों के मौखिक उत्तर

अध्यक्ष महोदय - प्रश्न क्रमांक 1, श्री नर्मदा प्रसाद प्रजापति (...व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय - प्रश्न क्रमांक 2, श्री मेवाराम जाटव (...व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय - प्रश्न क्रमांक 3, डॉ. अशोक मर्सकोले - (...व्यवधान)

श्री सज्जन सिंह वर्मा - मुख्यमंत्री जी कहां चले गए?

अध्यक्ष महोदय - आप सभी सीट में जाइए, इसमें स्थगन लेकर के बहुत ज्यादा चर्चा हो चुकी है, तरुण जी. आप सीट पर जाइए, पहले सुन लीजिए, शांत हो जाइए, सज्जन सिंह जी सुन लीजिए. (...व्यवधान)

(इंडियन नेशनल कांग्रेस के सदस्यगण गर्भगृह में नारे लगाते रहे.) (...व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय - अपनी सीट में जाइए, आपके स्थगन प्रस्ताव पर बहुत सारी चर्चा हो चुकी है. इसी को विषय लेकर काफी चर्चा कर चुकी है, खूब चर्चा हो गई है. (...व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय - प्रश्न क्रमांक 4, श्री अर्जुन सिंह काकोडिया - (...व्यवधान)

### किसानों को सौर पम्प लगाने हेतु अनुदान

[नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा]

5. (\*क्र. 516) श्री करण सिंह वर्मा : क्या नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या प्रदेश सरकार द्वारा छोटे किसानों हेतु सौर ऊर्जा पम्प लगाने के लिए अनुदान राशि देने का प्रावधान है? यदि हाँ, तो योजनान्तर्गत कितने प्रतिशत अनुदान दिया

जाता है? सीहोर जिले में सोलर योजना अंतर्गत गत दो वर्षों में कुल कितने किसान लाभान्वित हुए हैं? (ख) क्या उक्त योजना में किसानों की श्रेणियां निर्धारित की गई हैं? यदि हाँ, तो श्रेणी निर्धारण नियमावली की जानकारी एवं श्रेणी में आने वाले किसानों का पूर्ण विवरण दें। (ग) उक्त योजना से विधानसभा क्षेत्र इच्छावर में वर्ष 2019 से अब तक कितने किसानों को लाभान्वित किया गया है एवं भविष्य में इस क्षेत्र हेतु उक्त योजना में श्रेणीवार किन-किन किसानों को लिया गया है? (घ) कृषि विभाग द्वारा किसानों के लिए विभिन्न उपकरण, हौद निर्माण, डिग्गी निर्माण हेतु अनुदान देय है उसमें वर्तमान में कोई कटौती की गई है, यदि हाँ, तो कितनी? विभाग द्वारा किसानों के लिए राष्ट्रीय बागवानी मिशन के तहत क्या-क्या प्रावधान किये गये हैं? (ङ.) प्रदेश में किसानों को किस-किस कृषि योजना में कौन सा व कितना अनुदान मिलता है? प्रदेश सरकार कृषि विकास हेतु अनुसंधान द्वारा अधिकाधिक उपज लेने हेतु कौन-कौन सी योजनाएं संचालित कर रही हैं? (च) प्रदेश में किसानों को बीज किट बांटने का क्या आधार है? जिला सीहोर में विगत पांच वर्षों में कितने किसानों को बीज किट का वितरण किया गया व बीज किट वितरण के क्या आधार रहे?

नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा मंत्री ( श्री हरदीपसिंह डंग ) : (क) प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाभियान (PM-KUSUM) के घटक "ब" के अंतर्गत प्रदेश में मुख्यमंत्री सोलर पंप योजना लागू की गई है, जिसके अंतर्गत किसानों को खेतों की सिंचाई के लिये सोलर पंप संयंत्र स्थापित करने के लिये केन्द्र सरकार व राज्य सरकार से 30-30% अर्थात् कुल 60% अनुदान प्रदान किया जाता है, साथ ही एग्रीकल्चर इन्फ्रास्ट्रक्चर फण्ड से सॉफ्ट लोन की सुविधा भी प्रदान की गई है। यह योजना प्रदेश के सभी जिलों में लागू है। सीहोर जिले में मुख्यमंत्री सोलर पंप योजना अंतर्गतगत दो वर्षों में कुल 238 किसान लाभान्वित हुये हैं, जिसकी जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-अ अनुसार है। (ख) योजना के लिये राज्य के वे सभी कृषक पात्र है, जिनके पास कृषि हेतु विद्युत कनेक्शन नहीं है, योजनांतर्गत 5 एच.पी.क्षमता तक केवल डी.सी. तथा अधिक बड़े पम्पों की श्रेणी में ए.सी. व डी.सी. दोनों तरह के पम्प मान्य हैं। योजनांतर्गत राज्यांश की राशि 7.5 एच.पी.के सोलर पंप के देय राज्यांश तक ही अधिकतम सीमित है। (ग) विधानसभा क्षेत्र इच्छावर में वर्ष 2019 से अब तक 17 किसानों को लाभान्वित किया गया है, जिसकी जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-ब अनुसार है। विधानसभा क्षेत्र इच्छावर सहित पूरे प्रदेश में यह योजना वर्ष 2024 तक लागू है तथा राज्य के कृषक, जिनके पास विद्युत कनेक्शन नहीं है इस योजना का लाभ लेने के पात्र हैं। (घ) संचालनालय कृषि अभियांत्रिकी द्वारा संचालित सब मिशन ऑन एग्रीकल्चरल मेकेनाइजेशन योजना, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन योजना (कृषि यंत्रीकरण

घटक) एवं राष्ट्रीय कृषि विकास योजना अंतर्गत कृषकों को उनके द्वारा क्रय किये गये कृषि यंत्रों पर अनुदान देय है। दिये जाने वाले अनुदान में कोई कटौती नहीं की गई है, जिसकी जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-'स' अनुसार है। राष्ट्रीय बागवानी मिशन की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-'द' अनुसार है। (ड.) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-'इ' अनुसार है। (च) सीहोर जिले में लघु, सीमान्त, अ.जा., अ.ज.जा. वर्ग के कृषकों को प्राथमिकता देते हुए पहले आओ, पहले पाओ, के आधार पर बीज किट दिया जाता है, सीहोर में विगत पांच वर्षों में 24726 किसानों को बीज किट का वितरण किया गया।

अध्यक्ष महोदय - आप लोग सीट पर बैठ जाइये.

....व्यवधान....

श्री करण सिंह वर्मा - माननीय अध्यक्ष महोदय, जो अनुदान पहले दिया जा रहा था, वह सरकार द्वारा बन्द कर दिया गया, तो जो अनुदान माननीय मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी ने दिया था, वह इसमें आएगा क्या. ... व्यवधान

(इण्डियन नेशनल कांग्रेस के सदस्यगण गर्भगृह में नारे लगाते रहे.)

....व्यवधान....

श्री हरदीपसिंह डंग - माननीय अध्यक्ष महोदय, जो माननीय सदस्य ने प्रश्न किया है, उसमें केन्द्र सरकार द्वारा 30 प्रतिशत और मध्यप्रदेश सरकार द्वारा 55 प्रतिशत, इस प्रकार कुल मिलाकर 85 प्रतिशत का अनुदान दिया जाता है. सीहोर में 238 किसानों को इसका लाभ प्राप्त हुआ है.

श्री करण सिंह वर्मा - माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं यह पूछना चाहता हूँ कि सन् 2019 से आज तक छोटे-बड़े किसानों को योजना से कितना अनुदान दिया गया और जो ट्रांसफार्मर मुख्यमंत्री अनुदान योजना में दिये जाते थे, क्या वह बन्द कर दिये गये हैं ? मैंने इसमें पूछा है कि किसानों को इसमें कितना अनुदान दिया जाता है ?

....व्यवधान....

श्री हरदीपसिंह डंग - माननीय सदस्य महोदय जो आपने पूछा है कि इसमें हमारे मध्यप्रदेश सरकार द्वारा 55 प्रतिशत और केन्द्र सरकार द्वारा 30 प्रतिशत का अनुदान दिया जाता है. इसमें कुल मिलाकर 85 प्रतिशत का अनुदान दिया जाता है और इसमें आपने अगला प्रश्न पूछा है कि सीहोर में कितने किसानों को लाभ मिला तो उसमें करीब 238 किसानों को इसका लाभ मिला है.



श्री करण सिंह वर्मा - माननीय अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय जी से मैं एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ कि अभी कितने प्रकरण सीहोर के हैं. सीहोर में कितने प्रकरण उनके विभाग के लम्बित पड़े हुए हैं ? वहां लाईन लगी हुई है. दूसरा, मेरा प्रश्न यह था कि इसमें जो अनुदान दिया जाता है, किसान को अपना ट्रांसफॉर्मर लगवाने के लिए मुख्यमंत्री जी ने अनुदान दिया था, वह कांग्रेस के समय से बन्द कर दिया गया था. क्या आप उसे फिर से चालू करेंगे ?

....व्यवधान....

श्री हरदीपसिंह डंग - अभी जो अनुदान दिया गया था. उसमें हमने करीब 6,787 प्रकरण में सोलर पम्प दे चुके हैं और 5,000 रुपये जिनकी राशि जमा है, 16,713 किसान हैं, ऐसे किसान जिनकी पूर्ण राशि जमा है. आपको सब लिखित में दिया हुआ है.

श्री करण सिंह वर्मा - लिखित में तो है. मगर कितने प्रकरण का पैसा जमा है और कितने किसानों का लम्बित पड़ा हुआ है.

श्री हरदीपसिंह डंग - अध्यक्ष महोदय, मैं यही बता रहा हूँ कि हम 42,530 में से 6,787 प्रकरण में सोलर पम्प दे चुके हैं, जिन्होंने 5,000 रुपये जमा करवा रखे हैं.

श्री करण सिंह वर्मा - बाकी के कब तक होंगे ?

श्री हरदीपसिंह डंग - अध्यक्ष महोदय, यह हम जल्दी से जल्दी कराने के प्रयास करेंगे, जल्दी करायेंगे.

....व्यवधान....

श्री करण सिंह वर्मा - और किसानों को जो अनुदान माननीय मुख्यमंत्री जी देते थे, वह अनुदान किसानों को बन्द कर दिया क्या ?

श्री हरदीपसिंह डंग - नहीं.

श्री करण सिंह वर्मा - कर दिया है. अभी राज्य सरकार ने जब अनुदान बन्द कर दिया है तो क्या आप उसे चालू करेंगे ?

श्री हरदीपसिंह डंग - यह अनुदान प्रारंभ है और पहले जो 85 प्रतिशत मिलता था, उसमें थोड़ी कमी है, पर चालू है, प्रारंभ है और जल्दी ही किसानों को इसका लाभ मिलेगा.

श्री यशपाल सिंह सिसौदिया - माननीय अध्यक्ष जी, विधायक जी श्री करण सिंह वर्मा जी ने बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न किया है. मैं आपका संरक्षण चाहते हुए माननीय मंत्री जी से पूछना चाहूँगा कि सिर्फ सौर ऊर्जा ही किसानों की विद्युत पम्प की प्लेट्स लगाने की सब्सिडी का ही सवाल नहीं है. उसमें भी जितने किसानों को अनुदान मिलना चाहिए, वह अनुदान कांग्रेस की तत्कालीन सरकार

कमलनाथ जी की सरकार ने रोक दिया था. कैग की रिपोर्ट आज बोलती है कि किसानों को मिलने वाली सारी सब्सिडी कमलनाथ जी की सरकार ने रोक दी थी. क्या माननीय मंत्री जी इसका परीक्षण करवायेंगे ?

श्री हरदीपसिंह डंग - बिल्कुल. अध्यक्ष महोदय, जो यशपाल जी, माननीय सदस्य जी ने पूछा है कि जो कांग्रेस के राज में कमलनाथ जी ने बन्द कर दी थी, उसको वापिस भारतीय जनता पार्टी की श्री शिवराज सिंह चौहान जी की सरकार प्रारंभ करेगी.

श्री करण सिंह वर्मा - माननीय अध्यक्ष जी, मैं माननीय मंत्री जी को धन्यवाद देता हूँ. आपको बहुत-बहुत धन्यवाद.

....व्यवधान....

अध्यक्ष महोदय - माननीय सदस्यगण, सदन में इस विषय पर स्थगन प्रस्ताव के माध्यम से पर्याप्त चर्चा हो चुकी है. आप सुन लीजिये, पर्याप्त चर्चा प्रश्नकाल स्थगित कर की जा चुकी है. कृपया अपनी सीट पर जायें. इस पर काफी चर्चा हो चुकी है.

....व्यवधान....

श्री सज्जन सिंह वर्मा - यह पिछड़े वर्ग की (XXX) है.

अध्यक्ष महोदय - आप जानकारी ले लीजिये. इसमें हल्ला मचाने की जरूरत नहीं है.

(..व्यवधान)

(इंडियन नेशनल कांग्रेस के सदस्यगण गर्भगृह में नारे लगाते रहे.)

(..व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय -- आज कांग्रेस के विधायकों के 15 प्रश्न लगे हैं, कांग्रेस के विधायकों के 15 प्रश्न लगे हैं, एक बी.एस.पी. का प्रश्न लगा है, केवल 9 प्रश्न भाजपा के लगे हैं और इस अवसर को भी आप गंवाना चाहते हैं, जबकि जनता की अपेक्षा और जनता के हितों के लिये प्रश्नकाल होता है और अभी एक अवसर आपका ओर आयेगा, अभी जब बजट पर बहस होगी, उस समय भी आप इस विषय को उठा सकते हैं, कृपया आप सभी अपनी सीट पर जायें. (..व्यवधान)

(इंडियन नेशनल कांग्रेस के सदस्यगण गर्भगृह में नारे लगाते रहे.)

(..व्यवधान)

श्री सज्जन सिंह वर्मा -- यह सरकार पिछड़े वर्ग के लोगों के साथ अन्याय कर रही है. (व्यवधान..) यह पिछड़े वर्ग के लोगों के हितों पर कुठाराघात करने वाली सरकार है. यह (XXX)

है, यह (XXX) है. यह पिछड़े वर्ग के होने के बाद भी पिछड़े वर्ग के हितों पर कुठाराघात कर रहे हैं.  
(व्यवधान..)

अध्यक्ष महोदय -- प्रश्न क्रमांक 6, श्री विजयराघवेन्द्र सिंह. (व्यवधान..)

सभापति महोदय - सदन की कार्यवाही 10 मिनट के लिए स्थगित की जाती है.

( 11.36 बजे से सदन की कार्यवाही 10 मिनट के लिए स्थगित की गई.)

**11.48 बजे**                      **अध्यक्ष महोदय (श्री गिरीश गौतम) पीठासीन हुये.**

अध्यक्ष महोदय-- प्रश्न क्रमांक-6. स्थगन प्रस्ताव पर विस्तृत चर्चा हो चुकी है.

....(व्यवधान)....

**11.49 बजे**                      **गर्भगृह में प्रवेश एवं धरना**

**इंडियन नेशनल कांग्रेस के सदस्यों द्वारा गर्भगृह में प्रवेश एवं धरना**

(इंडियन नेशनल कांग्रेस के सदस्यगण द्वारा नारे लगाते हुये गर्भगृह में प्रवेश किया गया एवं गर्भगृह में धरने पर बैठ गये)

अध्यक्ष महोदय-- स्थगन प्रस्ताव पर विस्तृत चर्चा हो चुकी है. ...(व्यवधान).. स्थगन प्रस्ताव पर काफी विस्तृत चर्चा हो गई है और मैंने आपसे पहले भी अनुरोध किया कि आज आपके ही सबसे ज्यादा प्रश्न लगे हुये हैं. ...(व्यवधान).... अपनी सीट पर जाइये.

...(व्यवधान)....

अध्यक्ष महोदय-- विधान सभा की कार्यवाही प्रश्नकाल तक के लिये स्थगित.

(11.50 बजे विधान सभा की कार्यवाही 12.00 बजे तक के लिये स्थगित की गई)

12.09 बजे

{ अध्यक्ष महोदय ( श्री गिरीश गौतम ) पीठासीन हुए }

गर्भगृह में प्रवेश एवं धरनाइंडियन नेशनल कांग्रेस के सदस्यों द्वारा गर्भगृह में प्रवेश एवं धरना

(..इंडियन नेशनल कांग्रेस के सदस्यगण द्वारा नारे लगाते हुए गर्भगृह में प्रवेश किय गया एवं गर्भगृह में धरने पर पर बैठ गये.)

(..व्यवधान..)

अध्यक्ष महोदय - आप लोग बैठ जाएं. माननीय मुख्यमंत्री जी इसी विषय पर वक्तव्य दे रहे हैं. सदन के नेता और मुख्यमंत्री जी इसी विषय पर बोल रहे हैं. नेता प्रतिपक्ष जी, अपने सदस्यों को वापस जाने को कहिये. वे बोल रहे हैं.

नेता प्रतिपक्ष(श्री कमलनाथ) - माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने पिछले घंटों में देखा आज जो आक्रोश है. केवल आक्रोश इस सदन का ही नहीं वरन् आक्रोश पूरे प्रदेश मे आरक्षण को लेकर है. माननीय मुख्यमंत्री जी सदन में नहीं थे. मैं धन्यवाद देता हूं. मैं इनके पास गया. इनको आमंत्रित किया.

अध्यक्ष महोदय - सदन में आने के लिये आमंत्रण की आवश्यकता तो होती नहीं.

श्री कमलनाथ - जी नहीं. मैंने सुबह भी कहा कि मुख्यमंत्री जी का जो बयान प्रोसीडिंग्स में है. इसकी पूर्ति हो जाए. कोर्ट में गये हैं. कोर्ट क्या कहेगा. आज आखिरी डेट है विद्रावल की चुनाव की. कल से लोग चुनाव में लग जाएंगे जहां चुनाव हो रहा है. कोर्ट का फैसला कुछ आ गया. आप बात रखेंगे कोर्ट में अपनी बात. हम भी अपनी बात रखेंगे. हम रोटेशन की बात रखेंगे. परिसीमन की बात रखेंगे, अगर कोर्ट ने हमारी बात मान ली और कहा कि रोटेशन होगा तो चुनाव में जिन्होंने शुरुआत कर ली. खर्चा कर लिया उनका क्या होगा और सबसे बड़ा प्रश्न है कि यह चुनाव जो मुख्यमंत्री जी ने प्रोसीडिंग में कहा. यह प्रोसीडिंग यहां है. प्रोसीडिंग मुझे पढ़ने की आवश्यकता नहीं है. आप सबने सुना है कि चुनाव आरक्षण से होगा. हमारी यही मांग है जो मुख्यमंत्री जी ने कहा. यह अब कोर्ट में चले जाएं. कोर्ट में आप जो कहें. सीधी बात है. स्पष्ट बात है. अपने बयान की पूर्ति आप कर लीजिये. यही हमारी मांग है और यही प्रदेश की आवाज है.

अध्यक्ष महोदय - (गर्भगृह में बैठे इंडियन नेशनल कांग्रेस के सदस्यों से) आप सभी अपनी सीट पर चले जाइये. बाद में आ जाइयेगा. मुख्यमंत्री जी को सुन लें.

(इंडियन नेशनल कांग्रेस के सदस्यगण आसंदी की समझाईश के बाद अपने-

अपने आसन पर वापस गये.)

मुख्यमंत्री(श्री शिवराज सिंह चौहान) - माननीय अध्यक्ष महोदय, अभी नेता प्रतिपक्ष जी कह रहे थे. मैं गया. मैंने आमंत्रण दिया. गये तो आप हाईकोर्ट भी, सुप्रीम कोर्ट भी.

श्री सज्जन सिंह वर्मा - अध्यक्ष महोदय, प्रश्नकाल में तो आए नहीं आप.

अध्यक्ष महोदय - नेता प्रतिपक्ष की सारी बात को सुना है. आप भी शांतिपूर्ण ढंग से सुनें.

श्री शिवराज सिंह चौहान - माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा केवल इतना कहना है. नेता प्रतिपक्ष जी बोले. हम लोग एक शब्द नहीं बोले. पूरे सम्मान के साथ उनको सुना और इसलिये मेरी बात भी. अब आपने भी कई तरह की बातें कही हैं तो उतना उत्तर तो मुझे देना पड़ेगा. यह अधिकार भी है और मेरा और आवश्यकता भी है और इसलिये मैं यह निवेदन कर रहा हूं. जो उन्होंने बात कही मैं एक-एक बात का उत्तर दूंगा. मैं निवेदन यह कर रहा हूं कि आप हाईकोर्ट गये. सुप्रीम कोर्ट गये. आरक्षण रुका आपके कारण, अब खुजा तो लिया और घाव हो गया तो चिल्ला रहे हैं.

(..व्यवधान..)

अध्यक्ष महोदय - शांति बनाये रखें. आप सुन लीजिये.

श्री यशपाल सिंह सिसौदिया - अध्यक्ष महोदय, नेता प्रतिपक्ष बोलते हैं तो हम भी व्यवधान खड़ा करते.

अध्यक्ष महोदय - बैठ जाईये. सज्जन सिंह जी बैठ जाईये. सभी बैठ जाएं. सदन के नेता खड़े हैं भाई.

श्री शिवराज सिंह चौहान - माननीय अध्यक्ष जी, इन्होंने जो भी किया हो, सरकार की प्रतिबद्धता है. मैं फिर दोहरा रहा हूं. मैं फिर जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं. हमने उस दिन भी कहा था. सामाजिक न्याय, सामाजिक समरसता के साथ. सामान्य वर्ग हो. पिछड़ा वर्ग हो. एस.सी. हो, एस.टी. हो. सबका कल्याण इस सरकार का लक्ष्य है और इसलिये हम सामान्य वर्ग को भी न्याय देंगे, एस.सी. और एस.टी. को भी न्याय देंगे. अन्य पिछड़ा वर्ग के आरक्षण के साथ पंचायत का चुनाव हो, आप जानते हैं कि हमने पुनर्विचार याचिका परसों दायर कर दी थी. आज अर्ली हीअरिंग के लिये हमने आग्रह किया है, माननीय सर्वोच्च न्यायालय में. रजिस्ट्रार जनरल से मिले हैं और आग्रह कर रहे हैं कि अर्ली हीअरिंग हो, तत्काल सुनवाई हो, तत्काल फैसला आये. अब वह फैसले की प्रतीक्षा है, लेकिन इसके बाद भी मैं फिर कहना चाहता हूं और आज इस ऐतिहासिक

सदन से कहना चाहता हूँ कि बिना इतने बड़े वर्ग के आरक्षण के चुनाव में जाना न तो तर्कसंगत है और न प्रदेश के हित में है. (सदन में मेजों की थपथपाहट) और इसलिये हम हर संभव प्रयास करेंगे, कोई कसर नहीं छोड़ेंगे. जो जो भी संभव है, सब किया जायेगा और पंचायत चुनाव ओबीसी के आरक्षण के साथ ही हो. (प्रतिपक्ष के सदस्यों द्वारा बैठे बैठे "होगा" कहने पर) अब सुन लीजिये पूरी बात भाई. यदि आपको अगर ओबीसी से कोई मतलब नहीं है, केवल हंगामा मचाना है, तो मुझे कुछ नहीं कहना है. मेरी पूरी बात सुन लीजिये. (श्री कमलेश्वर पटेल, सदस्य के खड़े होने पर)

अध्यक्ष महोदय -- कमलेश्वर पटेल जी, सुन लीजिये ना. जो आप चाहते हैं, वही तो कह रहे हैं. तो क्यों परेशान हैं आप. वही तो कह रहे हैं.

श्री शिवराज सिंह चौहान -- अध्यक्ष महोदय, यह सदन आज एक ऐतिहासिक फैसला करे.

..(व्यवधान)..

ऊर्जा मंत्री (श्री प्रद्युम्न सिंह तोमर) -- अध्यक्ष महोदय, यह केवल (xxx) कर रहे हैं.

अध्यक्ष महोदय -- नहीं, आप बैठ जाइये.

श्री कमलनाथ -- अध्यक्ष महोदय, ये कह रहे हैं कि ये (xxx) कर रहे हैं. ये आप इस सदन में ऐसे वक्तव्य दे रहे हैं.

अध्यक्ष महोदय -- नहीं, नहीं. ये कार्यवाही से हटा दें. ..(व्यवधान).. इसको कार्यवाही से हटा दिया. सुन लीजिये ना.

श्री शिवराज सिंह चौहान -- अध्यक्ष महोदय, ये ऐतिहासिक सदन आज सर्वसम्मति से एक संकल्प ले कि यह सदन संकल्प लेता है कि बिना ओबीसी के आरक्षण के पंचायत चुनाव न कराये जायें.

संसदीय कार्य मंत्री (डॉ. नरोत्तम मिश्र) -- अध्यक्ष महोदय, मैं समर्थन करता हूँ. मैं माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रस्ताव का समर्थन करता हूँ.

श्री कमलनाथ -- अध्यक्ष महोदय, यह तो परसों मैंने कहा था कि संकल्प लें और ये 48 घण्टे बाद हमें यह बात समझा रहे हैं.

श्री शिवराज सिंह चौहान -- देखिये, आपकी समझ में कोई बात आती नहीं है, न ओबीसी से आपको मतलब है. ..(व्यवधान).. आप तो फंस गये. गिर पड़े तो हर गंगे. फिसल पड़े तो हर गंगे..(व्यवधान)..

श्री कमलनाथ -- अध्यक्ष महोदय, यह प्रदेश की जनता जानती है.

..(व्यवधान)..

(इण्डियन नेशनल कांग्रेस के सदस्यगण अपनी बात कहते हुए गर्भगृह में आये.)

अध्यक्ष महोदय -- संकल्प आने दीजिये. जब आप चाहते हैं कि संकल्प पारित हो, तो आने दीजिये. ..(व्यवधान).. आने दीजिये संकल्प को. ..(व्यवधान).. नेता प्रतिपक्ष जी, संकल्प आने दीजिये ना. जब सर्वसम्मति से संकल्प पास कर रहे हैं, तो संकल्प आने दीजिये ना. (गर्भगृह में सदस्यों से) आप लोग अपनी सीट पर जाइये. नेता प्रतिपक्ष जी, आप ही कह रहे हैं कि संकल्प लाइये.

(अध्यक्ष महोदय की समझाइश पर इण्डियन नेशनल कांग्रेस के सदस्य गण वापस अपने आसन पर गये.)

डॉ. नरोत्तम मिश्र -- अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्यमंत्री जी एक बार दोबारा संकल्प पढ़ना चाहते हैं ..(व्यवधान).. अध्यक्ष महोदय, मुख्यमंत्री जी एक बार संकल्प को दोहराना चाहते हैं.

अध्यक्ष महोदय -- मैं अपनी तरफ से बोलता हूं. (व्यवधान).. कृपया संकल्प आने दीजिये.

श्री सज्जन सिंह वर्मा - अध्यक्ष महोदय, हमारा उनके शब्दों पर विरोध है. (व्यवधान)..

अध्यक्ष महोदय - संकल्प आने दीजिए. माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा पंचायत चुनाव के संबंध में ..(व्यवधान)..

संसदीय कार्यमंत्री (डॉ. नरोत्तम मिश्र)- ये संकल्प के भी खिलाफ हैं. इनकी कथनी और करनी में अंतर देखो, यह संकल्प के खिलाफ हैं. यह संकल्प का विरोध कर रहे हैं. आप संकल्प पढ़ रहे हैं, यह संकल्प का विरोध कर रहे हैं. (व्यवधान)..

डॉ. विजय लक्ष्मी साधौ - हम संकल्प का विरोध नहीं कर रहे हैं, गलत बयानबाजी का विरोध कर रहे हैं. (व्यवधान)..

अध्यक्ष महोदय - (कई माननीय सदस्यों के एक साथ खड़े होकर बोलने पर) यह गलत बात हुई. यह ठीक नहीं है. जिस संकल्प को आप लाना चाहते हैं, आप उसी का विरोध कर रहे हैं? जिस संकल्प को आप पास कराना चाहते हैं उसका विरोध क्यों कर रहे हैं?

श्री सज्जन सिंह वर्मा - उसका विरोध नहीं है. उनके शब्दों का विरोध है. (व्यवधान)...

अध्यक्ष महोदय - यह तो विरोध है. यह संकल्प के प्रस्तुतीकरण का विरोध है सज्जन जी. जिस संकल्प को आप कह रहे हैं, आप स्वतः कह रहे हैं कि संकल्प लाइए, उस संकल्प को प्रस्तुत करने में विरोध कर रहे हैं, यह कौन-सी बात हुई? जिस संकल्प को आप भी चाहते हैं कि वह आए, नहीं मेरे प्रश्न का जवाब दीजिए, आप चाहते हैं कि यह संकल्प आए कि नहीं आए?

डॉ. विजय लक्ष्मी साधौ - अध्यक्ष महोदय, संकल्प का विरोध नहीं है. (व्यवधान)..

डॉ. नरोत्तम मिश्र - सदन में भी संकल्प का विरोध कर रहे हैं.(व्यवधान).. यह संकल्प का विरोध हो रहा है. अध्यक्ष महोदय, आप देखिए.

अध्यक्ष महोदय - नेता प्रतिपक्ष जी, आप यह चाहते हैं कि संकल्प आए कि नहीं आए? आप फिर संकल्प का विरोध क्यों करते हैं?

डॉ. नरोत्तम मिश्र - हाईकोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में, सदन में सब जगह ये विरोध कर रहे हैं.

अध्यक्ष महोदय - जिस संकल्प को आप लाना चाहते हैं उसको लाने दीजिए.

श्री कमल नाथ - अध्यक्ष महोदय, मैं वही बोल रहा हूं. मुझे यह नहीं समझ आता. (व्यवधान)..

डॉ. नरोत्तम मिश्र - हम नहीं बोलने देंगे, आपको भी नहीं बोलने देंगे. आपको तब तक नहीं बोलने देंगे जब तक आपके लोग हमारे नेता को नहीं बोलने देंगे. (व्यवधान)..नेता प्रतिपक्ष को नहीं बोलने देंगे. हमारा नेता बोलता है तो आप सभी खड़े हो जाते हो. कोई नहीं बोलेगा जब तक पूरी बात नहीं सुनी जाएगी. ऐसा नहीं होगा कि हमारा नेता बोलने के लिए खड़ा हो. (व्यवधान)..

अध्यक्ष महोदय - आप बैठिए.

श्री सज्जन सिंह वर्मा - शब्दों का चयन तो ठीक करो. ऐसे शब्द बोले जाते हैं क्या? अध्यक्ष महोदय, शब्दों का चयन ठीक करवाइए. ऐसे शब्द सुनेंगे नहीं. (व्यवधान)..

अध्यक्ष महोदय - अभी तो मैं खड़ा हूं दोनों पक्ष बैठें. एक बार बैठ तो जाइए. आसंदी पर मैं खड़ा हूं, दोनों पक्ष एक बार बैठ जाइए. आप भी बैठिए. (व्यवधान)..

उच्च शिक्षा मंत्री (डॉ. मोहन यादव) - अध्यक्ष जी, यह आपको भी नहीं गिन रहे हैं. यह किसी की नहीं सुन रहे हैं. यह यदि हमारे नेता को नहीं बोलने देंगे तो हम किसी को नहीं बोलने देंगे.



12.24 बजे

संकल्प

प्रदेश में बगैर अन्य पिछड़े वर्गों के आरक्षण के त्रिस्तरीय पंचायत केचुनाव न कराया जाना

अध्यक्ष महोदय - आप बैठ जाइए. सब बैठ जाइए, रामेश्वर जी बैठ जाइए.

माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा पंचायत चुनाव के संबंध में दिये गये संकल्प को मेरे द्वारा स्वीकृत किया गया है, अतः अब इस संकल्प को माननीय मुख्यमंत्री जी प्रस्तुत करेंगे.

मुख्यमंत्री (श्री शिवराज सिंह चौहान) - "सदन का मत है कि प्रदेश में बगैर अन्य पिछड़े वर्गों के आरक्षण के त्रिस्तरीय पंचायत के चुनाव न कराये जायें."

अध्यक्ष महोदय - संकल्प प्रस्तुत हुआ.

श्री शिवराज सिंह चौहान - माननीय अध्यक्ष महोदय, एक ऐसी परिस्थिति पैदा हुई है, जिसके कारण सम्पूर्ण मध्यप्रदेश में आक्रोश व्याप्त है. सरकार की प्रतिबद्धता मैंने पहले जाहिर की है और यह परिस्थिति पैदा हुई. हमारे प्रतिपक्ष के मित्रों ने चुनाव का हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में विरोध किया, इसके कारण यह पैदा हुआ.

श्री कमलेश्वर पटेल - नहीं. (व्यवधान)..

श्री सज्जन सिंह वर्मा - अध्यक्ष महोदय, बेबुनियाद आरोप लगा रहे हैं. (व्यवधान)..

अध्यक्ष महोदय - नेता प्रतिपक्ष आपको भी अवसर देंगे. कमल नाथ जी आपको भी अवसर देंगे. आपको अवसर मिलेगा. आप बैठ जाइए.

श्री शिवराज सिंह चौहान -जैसे मैंने पहले कहा समाज के हर वर्ग को न्याय मिले, यह हमारी प्रतिबद्धता है. (मेजों की थपथपाहट)..ओबीसी को भी न्याय मिले, यह सरकार की प्रतिबद्धता है और मैं सदन से यह अपील करता हूं कि हमको हर संभव जो प्रयत्न करना पड़े, हम कानून वैधानिक जो पक्ष है उसको लेकर सुप्रीम कोर्ट में गये हुए हैं. माननीय सर्वोच्च न्यायालय में अपने पक्ष को पूरी ताकत के साथ रखेंगे. इसके साथ ही ओबीसी को पंचायत के चुनाव में आरक्षण मिले, उसके लिए हर संभव उपाय करेंगे, मैं आग्रह करता हूं कि सदन के सभी माननीय सदस्यों से कि इस संकल्प को सर्वसम्मति से पारित करके एक नया इतिहास रचें और हम मिलकर सब प्रयास करेंगे कि ओबीसी को आरक्षण मिले और उसके साथ ही पंचायत के चुनाव हों.

अध्यक्ष महोदय - संक्षेप में. नेता प्रतिपक्ष जी.

संसदीय कार्यमंत्री ( डॉ. नरोत्तम मिश्र ) - अध्यक्ष महोदय, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है. पहले संकल्प पास होगा, उसके बाद कोई बात आएगी. पहले संकल्प पास होगा.

नेता प्रतिपक्ष (श्री कमल नाथ) - अध्यक्ष महोदय, मैं संकल्प के विषय में ही बोलूंगा।

डॉ. नरोत्तम मिश्र -- अध्यक्ष महोदय, पहले संकल्प पास होगा उसके बाद कोई बात होगी। स्थगन आ चुका है। ..(व्यवधान)..सदन नियम प्रक्रिया से चलेगा। आप पहले संकल्प पास कराइए...(व्यवधान)..

अध्यक्ष महोदय -- आप लोग बैठ जाइए। मेरी बात सुन लीजिए। आप सब लोग बैठ जाइए। यह जब सर्वसम्मति ही है तो मैं संकल्प पढ़ता हूं।

प्रश्न यह है कि सदन का मत है कि प्रदेश में बगैर अन्य पिछड़े वर्गों के आरक्षण के त्रिस्तरीय पंचायत के चुनाव न कराए जाएं।

संकल्प प्रस्तुत हुआ।

सब सहमत हैं तो सब लोग एकसाथ हाथ उठाएं।

संकल्प सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ।

..(व्यवधान)..

डॉ. नरोत्तम मिश्र -- संकल्प पारित होने के बाद इस विषय पर चर्चा नहीं हो सकती।

अध्यक्ष महोदय -- आप लोग जब बजट आएगा तब उस पर बोल लेना। अब तो हो गया। अब शून्यकाल की सूचनाएं ली जाएंगी।

12.26 बजे

नियम 267-क के अधीन विषय

अध्यक्ष महोदय --

निम्नलिखित माननीय सदस्यों की शून्यकाल की सूचनाएं सदन में पढ़ी हुई मानी जायेगी।

1. श्री सिद्धार्थ सुखलाल कुशवाहा
2. श्री उमाकांत शर्मा
3. श्री पुरुषोत्तम लाल तंतुवाय
4. श्री सुखदेव पांसे
5. श्री राकेश मावई
6. श्री शैलेन्द्र जैन
7. डॉ. सीतासरन शर्मा
8. श्री प्रणय प्रभात पाण्डेय
9. श्री सुबेदार सिंह सिकरवार रजौधा
10. श्री संजय शर्मा

श्री कमल नाथ -- माननीय अध्यक्ष जी, अभी आपने कहा था कि हम मौका देंगे.

अध्यक्ष महोदय -- नहीं, अब वह हो गया. ..(व्यवधान)..

12.27 बजे

पत्रों का पटल पर रखा जाना

मध्यप्रदेश खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड के वार्षिक प्रतिवेदन

वर्ष 2014-2015 एवं 2015-2016

कुटीर एवं ग्रामोद्योग मंत्री (श्री गोपाल भार्गव) :- अध्यक्ष महोदय, मैं, मध्यप्रदेश ग्रामोद्योग अधिनियम, 1978 (क्रमांक 16 सन् 1978) की धारा 18 की उपधारा (2) की अपेक्षानुसार मध्यप्रदेश खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड के वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2014-2015 एवं 2015-2016 पटल पर रखता हूँ.

डॉ. नरोत्तम मिश्र -- अध्यक्ष जी, जिसका संकल्प पारित हो गया उस विषय को छोड़कर बात होगी. ..(व्यवधान)...

12.28 बजे

ध्यानाकर्षण

अध्यक्ष महोदय -- विधान सभा नियमावली के नियम 138(3) के अनुसार किसी एक बैठक में दो से अधिक ध्यानाकर्षण की सूचनाएं नहीं ली जा सकती हैं, परंतु सदस्यों की ओर से अभी तक प्राप्त ध्यानाकर्षण की सूचनाओं में दर्शाये गए विषयों की अविलम्बनीयता तथा महत्व के साथ ही माननीय सदस्यों के विशेष आग्रह को देखते हुए सदन की अनुमति की प्रत्याशा में नियम को शिथिल करके मैंने आज की कार्यसूची में 4 सूचनाएं सम्मिलित किये जाने की अनुज्ञा प्रदान की थी, लेकिन इसके साथ ही मेरा अनुरोध है कि ध्यानाकर्षण की सूचनाएं पढ़ी हुई मानी जाएंगी और उनका उत्तर पटल पर रखा हुआ माना जाएगा.

..(व्यवधान)..

श्री जितु पटवारी -(XXX)...(व्यवधान)..

12.29 बजे

गर्भगृह में प्रवेशइंडियन नेशनल कांग्रेस के सदस्यगण द्वारा गर्भगृह में प्रवेश

(श्री बाला बच्चन के नेतृत्व में इंडियन नेशनल कांग्रेस के सदस्यगण द्वारा नारे लगाते हुए गर्भगृह में प्रवेश किया गया और गर्भगृह में नारे लगाए जाते रहे.)

-----  
XXX : आदेशानुसार रिकार्ड नहीं किया गया.

प्रतिवेदन की प्रस्तुति एवं स्वीकृतिगैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति का प्रथम प्रतिवेदन

श्री विजयपाल सिंह (सभापति) -- अध्यक्ष महोदय, मैं गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति का प्रथम प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूँ.

प्रतिवेदन इस प्रकार है - समिति ने शुक्रवार, दिनांक 24 दिसम्बर, 2021 को चर्चा के लिये आने वाले गैर-सरकारी सदस्यों के कार्य पर विचार किया तथा निम्नलिखित समय अशासकीय संकल्पों पर चर्चा के लिये निर्धारित समय की सिफारिश की है -

अशासकीय संकल्प	शुक्रवार, दिनांक 24 दिसम्बर, 2021 निर्धारित समय	
1 (क्रमांक-01)	श्री विक्रम सिंह	30 मिनट
2 (क्रमांक-05)	डॉ. सीतासरन शर्मा	30 मिनट
3 (क्रमांक-11)	श्री यशपाल सिंह सिसोदिया	30 मिनट
4(क्रमांक-13)	श्री दिव्यराज सिंह	30 मिनट

श्री विजयपाल सिंह -- अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि सदन गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति के प्रथम प्रतिवेदन से सहमत है.

अध्यक्ष महोदय -- प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ.

प्रश्न यह है कि- सदन गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति के प्रथम प्रतिवेदन से सहमत है.

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ.

**12.29 बजे**याचिकाओं की प्रस्तुति

अध्यक्ष महोदय -- आज की कार्यसूची में सम्मिलित सभी माननीय सदस्यों की याचिकाएं प्रस्तुत की हुई मानी जाएंगी.

## वर्ष 2021-2022 के द्वितीय अनुपूरक अनुमान की मांगों पर मतदान

अध्यक्ष महोदय :- अब, अनुपूरक अनुमान की मांगों पर चर्चा होगी. सदन की परम्परा के अनुसार सभी मांगें एक साथ प्रस्तुत की जाती हैं और उन पर एक साथ चर्चा होती है.

अतः वित्त मंत्री जी सभी मांगों एक साथ प्रस्तुत कर दें. मैं समझता हूँ कि सदन इससे सहमत है.

श्री जगदीश देवड़ा (वित्त मंत्री) :- अध्यक्ष महोदय, मैं, राज्यपाल महोदय की सिफारिश के अनुसार प्रस्ताव करता हूँ कि -

“ दिनांक 31 मार्च, 2022 को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष में अनुदान संख्या 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 26, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 38, 39, 40, 43, 44, 46, 47, 48, 49, 52, 53, 55, 56, 57, 62, 64, एवं 65 के लिए राज्य की संचित निधि में से प्रस्तावित व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को कुल मिलाकर उन्नीस हजार, इकहत्तर करोड़, चौरानवे लाख, उनचास हजार, छह सौ पैंतालीस रुपये की अनुपूरक राशि दी जाये. ”

अध्यक्ष महोदय :- प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ.

अध्यक्ष महोदय :- प्रश्न यह है कि -

“ दिनांक 31 मार्च, 2022 को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष में अनुदान संख्या 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 26, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 38, 39, 40, 43, 44, 46, 47, 48, 49, 52, 53, 55, 56, 57, 62, 64, एवं 65 के लिए राज्य की संचित निधि में से प्रस्तावित व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को कुल मिलाकर उन्नीस हजार, इकहत्तर करोड़, चौरानवे लाख, उनचास हजार, छह सौ पैंतालीस रुपये की अनुपूरक राशि दी जाये. ”

अनुपूरक मांगों का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ.

श्री सज्जन सिंह वर्मा -- अध्यक्ष महोदय, ये संकल्प हमने सर्वसम्मति से पूरे सदन ने पास किया है...(व्यवधान)...

अध्यक्ष महोदय -- हां, हुआ है, लेकिन अब हम आगे बढ़ गए हैं... (व्यवधान)...

श्री सज्जन सिंह वर्मा -- हमारे नेता प्रतिपक्ष को आपने बोलने नहीं दिया... (व्यवधान)...

यह लोकतंत्र की हत्या है, जब सदन की कार्यवाही में विपक्ष पूरा सहयोग कर रहा है .

...(व्यवधान)...

अध्यक्ष महोदय -- इसीलिए तो पास हो गया ना, सर्वसम्मति से तभी तो पास हुआ है.

...(व्यवधान)...

श्री सज्जन सिंह वर्मा -- माननीय अध्यक्ष महोदय, यह पहली बार सदन में हुआ है, यह लोकतंत्र की हत्या है... (व्यवधान)...

12.31 बजे

शासकीय विधि विषयक कार्य

(1) मध्यप्रदेश विनियोग (क्रमांक-5) विधेयक, 2021 (क्रमांक 35 सन् 2021) का पुरःस्थापन,  
विचारण एवं पारण

वित्त मंत्री (श्री जगदीश देवड़ा) -- अध्यक्ष महोदय, मैं, मध्यप्रदेश विनियोग (क्रमांक-5) विधेयक, 2021 का पुरःस्थापन करता हूँ.

अध्यक्ष महोदय, मैं, प्रस्ताव करता हूँ कि मध्यप्रदेश विनियोग (क्रमांक-5) विधेयक, 2021 पर विचार किया जाए.

अध्यक्ष महोदय -- प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ कि मध्यप्रदेश विनियोग (क्रमांक-5) विधेयक 2021 पर विचार किया जाए.

अध्यक्ष महोदय -- प्रश्न यह है कि मध्यप्रदेश विनियोग (क्रमांक-5) विधेयक, 2021 पर विचार किया जाए.

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ.

अध्यक्ष महोदय -- अब विधेयक के खण्डों पर विचार होगा.

प्रश्न यह है कि खण्ड 2,3 तथा अनुसूची इस विधेयक का अंग बने.

खण्ड 2, 3 तथा अनुसूची इस विधेयक के अंग बने.

अध्यक्ष महोदय -- प्रश्न यह है कि खण्ड 1 इस विधेयक का अंग बने.

खण्ड 1 इस विधेयक का अंग बना.

अध्यक्ष महोदय -- प्रश्न यह है कि पूर्ण नाम तथा अधिनियमन सूत्र विधेयक का अंग बने.

पूर्ण नाम तथा अधिनियमन सूत्र विधेयक के अंग बने.

वित्त मंत्री (श्री जगदीश देवड़ा) -- अध्यक्ष महोदय, मैं, प्रस्ताव करता हूँ कि मध्यप्रदेश विनियोग (क्रमांक-5) विधेयक, 2021 पारित किया जाए.

अध्यक्ष महोदय -- प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ कि मध्यप्रदेश विनियोग (क्रमांक-5) विधेयक, 2021 पारित किया जाए.

प्रश्न यह है कि मध्यप्रदेश विनियोग (क्रमांक-5) विधेयक, 2021 पारित किया जाए.

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ.

विधेयक पारित हुआ.

... (व्यवधान)...

12.33

बहिर्गमन

इंडियन नेशनल कांग्रेस के सदस्यगण द्वारा सदन से बहिर्गमन



श्री सज्जन सिंह वर्मा -- अध्यक्ष महोदय, हम वॉकआउट इसलिए कर रहे हैं कि नेता प्रतिपक्ष को आपने बोलने नहीं दिया, जबकि हमने संकल्प सर्वसम्मति से पास किया, लेकिन यह तानाशाही हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे. हम लोग वॉकआउट कर रहे हैं.

(श्री सज्जन सिंह वर्मा के नेतृत्व में इंडियन नेशनल कांग्रेस के सदस्यगण द्वारा नेता प्रतिपक्ष को न बोलने देने के विरोध में सदन से बहिर्गमन किया गया.)

... (व्यवधान)...

12.34 बजे

शासकीय विधि विषयक कार्य (क्रमशः)

(2) मध्यप्रदेश काष्ठ चिरान (विनियमन) संशोधन विधेयक, 2021 को आगामी तिथि में लिया जाना

संसदीय कार्यमंत्री (डॉ. नरोत्तम मिश्र) -- अध्यक्ष महोदय, यह विधेयक कल ले लिया जाएगा. मंत्री जी आज सदन में नहीं हैं.

अध्यक्ष महोदय -- ठीक है.

(3) मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता (संशोधन) विधेयक, 2021 (क्रमांक 30 सन् 2021) पर विचार एवं पारण

राजस्व मंत्री (श्री गोविन्द सिंह राजपूत) -- अध्यक्ष महोदय, मैं, प्रस्ताव करता हूँ कि मध्यप्रदेश भू-राजस्व (संशोधन) विधेयक, 2021 पर विचार किया जाए.

अध्यक्ष महोदय -- प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ कि मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता (संशोधन) विधेयक, 2021 पर विचार किया जाए.

अध्यक्ष महोदय -- प्रश्न यह है कि मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता (संशोधन) विधेयक, 2021 पर विचार किया जाए.

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ.

अध्यक्ष महोदय -- अब विधेयक के खण्डों पर विचार होगा.

12.35 बजे

अध्यक्ष महोदय :- प्रश्न यह है कि खण्ड 2 से 7 से इस विधेयक का अंग बने.

खण्ड 2 से 7 इस विधेयक के अंग बने

अध्यक्ष महोदय :- प्रश्न यह है कि खण्ड 1 इस विधेयक का अंग बने.

खण्ड 1 इस विधेयक का अंग बना.

अध्यक्ष महोदय :- प्रश्न यह है कि पूर्ण नाम तथा अधिनियमन सूत्र विधेयक का अंग बने.

पूर्ण नाम तथा अधिनियमन सूत्र विधेयक का अंग बने.

राजस्व मंत्री (श्री गोविन्द सिंह राजपूत) :-

अध्यक्ष महोदय, मैं, प्रस्ताव करता हूँ कि मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता (संशोधन) विधेयक, 2021 पारित किया जाए.

अध्यक्ष महोदय :- प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ कि मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता (संशोधन) विधेयक, 2021 पारित किया जाए.

अध्यक्ष महोदय :- प्रश्न यह है कि मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता (संशोधन) विधेयक, 2021 पारित किया जाए.

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ.

विधेयक पारित हुआ.

- (4) ग्वालियर व्यापार मेला प्राधिकरण (संशोधन) विधेयक, 2021 (क्रमांक 31 सन् 2021) आगामी तिथि में लिया जाना.

संसदीय कार्यमंत्री (डॉ.नरोत्तम मिश्र) -- अध्यक्ष महोदय, यह विधेयक कल ले लिया जाए, आज मंत्री जी सदन में नहीं हैं.

अध्यक्ष महोदय -- ठीक है.

- (5) मध्यप्रदेश विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2021 (क्रमांक 32 सन् 2021)

उत्त शिक्षा मंत्री (डॉ. मोहन यादव) :-

अध्यक्ष महोदय, मैं, प्रस्ताव करता हूं कि मध्यप्रदेश विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2021 पर विचार किया जाय.

अध्यक्ष महोदय :- प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ कि मध्यप्रदेश विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2021 पर विचार किया जाय.

अध्यक्ष महोदय :- प्रश्न यह है कि मध्यप्रदेश विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2021 पर विचार किया जाय.

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ,

-----  
अध्यक्ष महोदय:- अब विधेयक के खण्डों पर विचार होगा.  
-----

अध्यक्ष महोदय :- प्रश्न यह है कि खण्ड 2 तथा 3 इस विधेयक का अंग बने.

खण्ड 2 तथा 3 इस विधेयक के अंग बने.

अध्यक्ष महोदय :- प्रश्न यह है कि खण्ड 1 इस विधेयक का अंग बने.

खण्ड 1 इस विधेयक का अंग बना.

अध्यक्ष महोदय :- प्रश्न यह है कि पूर्ण नाम तथा अधिनियमन सूत्र विधेयक का अंग बने.

पूर्ण नाम तथा अधिनियमन सूत्र विधेयक का अंग बने.

उच्च शिक्षा मंत्री (डॉ. मोहन यादव):-

अध्यक्ष महोदय, मैं, प्रस्ताव करता हूँ कि मध्यप्रदेश विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2021 पारित किया जाय.

अध्यक्ष महोदय :- प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ कि मध्यप्रदेश विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2021 पारित किया जाय.

अध्यक्ष महोदय :- प्रश्न यह है कि मध्यप्रदेश विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2021 पारित किया जाय.

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

विधेयक पारित हुआ.

(6) मध्यप्रदेश लोक एवं निजी संपत्ति को नुकसान का निवारण एवं नुकसानी की वसूली  
विधेयक, 2021 (क्रमांक 34 सन् 2021)

गृह मंत्री (डॉ. नरोत्तम मिश्र) :-

अध्यक्ष महोदय, मैं, प्रस्ताव करता हूँ कि मध्यप्रदेश लोक एवं निजी संपत्ति को नुकसान का निवारण एवं नुकसानी की वसूली विधेयक, 2021 पर विचार किया जाय.

अध्यक्ष महोदय :- प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ कि मध्यप्रदेश लोक एवं निजी संपत्ति को नुकसान का निवारण एवं नुकसानी की वसूली विधेयक, 2021 पर विचार किया जाय.

अध्यक्ष महोदय :- प्रश्न यह है कि मध्यप्रदेश लोक एवं निजी संपत्ति को नुकसान का निवारण एवं नुकसानी की वसूली विधेयक, 2021 पर विचार किया जाय.

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

---

अध्यक्ष महोदय:- अब विधेयक के खण्डों पर विचार होगा.

---

अध्यक्ष महोदय :- प्रश्न यह है कि खण्ड 2 से 20 इस विधेयक का अंग बने.

खण्ड 2 से 20 इस विधेयक के अंग बने.

अध्यक्ष महोदय :- प्रश्न यह है कि खण्ड 1 इस विधेयक का अंग बने.

खण्ड 1 इस विधेयक का अंग बना.

अध्यक्ष महोदय :- प्रश्न यह है कि पूर्ण नाम तथा अधिनियमन सूत्र विधेयक का अंग बने.

पूर्ण नाम तथा अधिनियमन सूत्र विधेयक का अंग बने.



गृह मंत्री (डॉ. नरोत्तम मिश्र) :-

अध्यक्ष महोदय, मैं, प्रस्ताव करता हूं कि मध्यप्रदेश लोक एवं निजी संपत्ति को नुकसान का निवारण एवं नुकसानी की वसूली विधेयक, 2021 पारित किया जाए.

अध्यक्ष महोदय :- प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ कि मध्यप्रदेश लोक एवं निजी संपत्ति को नुकसान का निवारण एवं नुकसानी की वसूली विधेयक, 2021 पारित किया जाए.

अध्यक्ष महोदय :- प्रश्न यह है कि मध्यप्रदेश लोक एवं निजी संपत्ति को नुकसान का निवारण एवं नुकसानी की वसूली विधेयक, 2021 पारित किया जाए.

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ.

विधेयक पारित हुआ.

12.40 बजे

नानाजी देशमुख पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2021

(क्रमांक 36 सन् 2021)

पशुपालन मंत्री (श्री प्रेमसिंह पटेल)-- अध्यक्ष महोदय, मैं, प्रस्ताव करता हूँ कि नानाजी देशमुख पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2021 पर विचार किया जाए.

अध्यक्ष महोदय-- प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ कि नानाजी देशमुख पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2021 पर विचार किया जाए.

प्रश्न यह है कि नानाजी देशमुख पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2021 पर विचार किया जाए.

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ.

अध्यक्ष महोदय-- अब विधेयक के खण्डों पर विचार होगा.

प्रश्न यह है कि खण्ड 2 इस विधेयक का अंग बने.

खण्ड 2 इस विधेयक का अंग बना.

अध्यक्ष महोदय-- प्रश्न यह है कि खण्ड 1 इस विधेयक का अंग बने

खण्ड 1 इस विधेयक का अंग बना.

अध्यक्ष महोदय-- प्रश्न यह है कि पूर्ण नाम तथा अधिनियमन सूत्र विधेयक का अंग बने.

पूर्ण नाम तथा अधिनियमन सूत्र विधेयक का अंग बने.

श्री प्रेमसिंह पटेल-- अध्यक्ष महोदय, मैं, प्रस्ताव करता हूँ कि नानाजी देशमुख पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2021 पारित किया जाए.

अध्यक्ष महोदय-- प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ कि नानाजी देशमुख पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2021 पारित किया जाए.

अध्यक्ष महोदय-- प्रश्न यह है कि नानाजी देशमुख पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2021 पारित किया जाए.

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ.

विधेयक पारित हुआ.

अध्यक्ष महोदय-- विधान सभा की कार्यवाही शुक्रवार दिनांक 24 दिसम्बर, 2021 को प्रातः 11.00 बजे तक के लिए स्थगित.

अपराहन 12.42 बजे विधान सभा की कार्यवाही शुक्रवार, दिनांक 24 दिसम्बर, 2021 (3 पौष शक संवत् 1943) के प्रातः 11.00 बजे तक के लिए स्थगित की गई.

ए. पी. सिंह,  
प्रमुख सचिव,  
मध्यप्रदेश विधान सभा.

भोपाल :

दिनांक : 23 दिसम्बर, 2021